

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 67/2017

अपीलांट—

बनाम

रेस्पोंडेंट्स—

नेमसिंह उर्फ नेमीचन्द पुत्र
बींजाराम उर्फ बींजराजसिंह
जाति पुरोहित निवासी सफेद
आकड़ा, महाबार तहसील व
जिला बाड़मेर

1. तहसीलदार बाड़मेर
2. सेजीदेवी पत्नी बींजाराम उर्फ बींजराजसिंह
3. शंकरसिंह पुत्र बींजाराम उर्फ बींजराजसिंह
4. खेतसिंह पुत्र बींजाराम उर्फ बींजराजसिंह
5. रमेशसिंह पुत्र बींजाराम उर्फ बींजराजसिंह
जाति पुरोहित निवासी सफेद आकड़ा
महाबार तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
विरुद्ध नामान्तरकरण सं. 150 दिनांक 01.09.1998 जो तहसीलदार
बाड़मेर द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोंडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।
3. रेस्पोंडेंट सं. 2 से 5 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 04.02.2021

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम के तहत ग्राम बाड़मेर गादान के नामान्तरकरण सं. 150 पर
तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 01.09.1998 के
विरुद्ध दिनांक 07.09.2017 को प्रस्तुत की गई हैं।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा बाड़मेर गादान के
खसरा नम्बर 2113/1, 2132/1 व 2129/2/1 रकबा क्रमशः 15-15,
24-16 व 61-19 बीघा भूमि बींजाराम पुत्र दलाराम कौम पुरोहित साकिन
देह खातेदार के नाम से दर्ज थी। उक्त खातेदार बींजाराम के फोटो के
हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 150 में मृतक बींजाराम के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

रूप में शंकरसिंह, खेतसिंह, रमेशसिंह, नेमसिंह पि० बींजाराम मु० सेजी देवी बेवा बींजाराम कौम पुरोहित सा० देह खातेदारान के नाम दर्ज कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 01.09.1998 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट ने तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरुद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 07.09.2017 को प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा बाड़मेर गादान के खसरा नम्बर 2113/1, 2132/1 व 2129/2/1 रकबा क्रमशः 15-15, 24-16 व 61-19 बीघा भूमि बींजाराम पुत्र दलाराम कौम पुरोहित साकिन देह खातेदार के नाम से दर्ज थी। उक्त खातेदार बींजाराम के फोट होने पर उनके वारीसान के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 150 हल्का पटवारी द्वारा दायर किया गया। उक्त नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम नेमीचन्द के स्थान पर नेमसिंह गलत दर्ज किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बारे में वारीसान की जांच एवं उन्हें नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट द्वारा अर्सा 20 दिन पूर्व जब हल्का पटवारी से अपनी खातेदारी भूमि के लिये केसीसी लेने के लिए जमाबन्दी की प्रतिलिपि प्राप्त करने एवं बैंक में ऋण आवेदन करने उक्त अशुद्ध नाम दर्ज होने की जानकारी हुई। इस पर अपीलाधीन विशसत के नामान्तरकरण सं. 150 की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 16.07.2017 को प्राप्त होने पर यह अपील जानकारी होने से अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना अपीलांट की जांच एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध होने से इसके विरुद्ध इस अपील के लिये मयाद बाधा नहीं है। इसके बावजूद भी विधि की आवश्यकता अनुसार धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र एवं



शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों एवं आधार पर अपीलांट की यह अपील अन्दर मयाद शुमार करते हुए स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण अपास्त करते हुए विवादित भूमि में अपीलांट का वास्तविक नाम खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे।

5. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि मौजा बाड़मेर गादान के खसरा नम्बर 2113/1, 2132/1 व 2129/2/1 रकबा क्रमशः 15-15, 24-16 व 61-19 बीघा भूमि बीजाराम पुत्र दलाराम कौम पुरोहित साकिन देह खातेदार के नाम से दर्ज थी। उक्त खातेदार बीजाराम के फोट होने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 150 में मृतक बीजाराम के वारीस के रूप में शंकरसिंह, खेतसिंह, रमेशसिंह, नेमसिंह पि० बीजाराम मु० सेजी देवी बेवा बीजाराम कौम पुरोहित सा० देह खातेदारान के नाम दर्ज कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 01.09.1998 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट का कथन है कि उसका वास्तविक नाम नेमीचन्द है जो हल्का पटवारी एवं तहसीलदार बाड़मेर द्वारा बिना जांच एवं पूछताछ के अपनी मनमर्जी से नेमसिंह लिख दिया है। इस प्रकार राजस्व रेकॉर्ड में उसके अशुद्ध नाम अंकित हो जाने से उन्हे सरकारी योजनाओं के लाभ लेने एवं अन्य प्रयोजनार्थ कठिनाई आ रही है। अपीलांट ने अपनी पहचान के दस्तावेज पेन कार्ड, विद्यालय के प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र इत्यादि प्रस्तुत किये, जिनके अवलोकन से प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि अपीलांट स्व० बीजाराम के वास्तविक वारीस पुत्र हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व वारीसान की जांच एवं अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा नामान्तरकरण एकपक्षीय पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण एकपक्षीय पारित किया गया है तथा अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे उन्हे उक्त नामान्तरकरण की तत्समय जानकारी नहीं होने का कथन सद्भाविक प्रतीत होता है तथा इस आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।




जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा बाड़मेर गादान के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 150 को आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक बींजाराम के वास्तविक वारीसान में अपीलांत के वास्तविक नाम की जांच एवं उनको नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर